कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला– दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
//विज्ञापन//

क्रमांक/   /निर्वा./वि.स.चु./स्थापना/2018   दन्तेवाड़ा, दिनांक   /8/2018

छ.ग. शासन विधि एवं विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग के पत्र क्रमांक/241/स्था./वि.स.चु./2018/2390 रायपुर, दिनांक 24.7.2018 के द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन– 2018 के लिए दन्तेवाड़ा जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के लिए पूर्णतः अस्थायी एवं नियत अवधि दिनांक (01.8.2018 से 31.01.2019) तक के लिए स्वीकृत निम्नांकित पदों पर निम्नानुसार आरक्षण एवं निम्नलिखित शर्तो एवं प्रक्रिया के अनुसार पदों की भर्ती हेतु दिनांक 13/8/2018 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।

क्रं.	पदनाम	कुल पद	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनारक्षित	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	**सहायक ग्रेड–3 (संविदा)** (दिनांक 01.8.2018 से 31.01.2018 तक की अवधि के लिए) जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु ।	05	—	—	03	01	01	—	—	—
02	**भृत्य (कलेक्टर दर)** (दिनांक 01.8.2018 से 31.01.2018 तक की अवधि के लिए) जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय हेतु।	03	—	—	02	—	01	—	—	—

नियुक्ति प्राधिकारी :–नियुक्ति कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला– दन्तेवाड़ा द्वारा की जावेगी ।

शैक्षणिक योग्यता/वेतनमान/तकनीकी अर्हताएं

\#	**सहायक ग्रेड–3 संविदा (दिनांक 01.8.2018 से 31.01.2018 तक के लिए)**

(अ)	सेवा श्रेणी– तृतीय ।

(ब)	सातवें वेतनमान के मान से मेट्रिक लेवल–04 के अनुसार देय संविदा वेतन ।

(i)	मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण ।

(ii)	मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र ।

(iii)	कम्प्यूटर में हिन्दी टाईपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटा गति । (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)

(स)	दन्तेवाड़ा जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

 # भृत्य, कलेक्टर दर (दिनांक 01.8.2018 से 31.01.2018 तक के लिए)

(अ) सेवा श्रेणी– चतुर्थ ।

(ब) पांचवीं परीक्षा उत्तीर्ण ।

(स) दन्तेवाड़ा जिले के मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

नियम एवं शर्ते :–

01. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 01.01.2018 की स्थिति में 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष ।
02. वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सहित उम्मीदवार का आवेदन दिनांक 13.8.2018 तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर या डाक से कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दन्तेवाड़ा में प्राप्त हो जाना चाहिए । नियत तिथि एवं समय के पश्चात् डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा ।
03. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है । (दन्तेवाड़ा जिले के मूल निवासी)
04. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र व दिनांक लेख करना तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।
05. कोई भी पुरूष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई महिला उम्मीदवार, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी ।
06. कोई भी उम्मीदवार, जिसे महिलाओं के विरूद्व किसी अपराध का सिद्व दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
07. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
08. कोई भी उम्मीदवार, जिसके दो से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
09. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायेगी, ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।
10. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा ।
11. लिफाफे के ऊपर पद का नाम एवं आवेदक का नाम व पता अवश्य लिखे ।
12. जन्मतिथि दर्शाने वाली शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
13. अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
14. आवेदक आवेदन पत्र के साथ एक लिफाफा अपने नाम एवं पूर्ण पता अंकित कर एवं आवश्यक डाक टिकिट चस्पा कर आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।

15. शासकीय, अर्धशासकीय एवं स्वशायी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा करना होगा ।

16. आवेदन पत्र में असत्य जानकारी देने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, साथ ही नियमानुसार आवेदक के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

17. यदि आवेदक एक से अधिक पद हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो, तो पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

18. शैक्षणिक योग्यता के मेरिट लिस्ट अनुसार 01 पद के विरूद्व 05 उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा लिया जावेगा ।

19. किसी भी विवाद/आपत्ति में अंतिम निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला–दन्तेवाड़ा का होगा ।

20. चयन प्रक्रिया :–

(क) सहायक ग्रेड–03 के लिए :–

(1) शैक्षणिक योग्यता का 60 प्रतिशत अंक ।

(2) कौशल परीक्षा का 35 अंक ।

(3) सामान्य निर्वाचन कार्यालय में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र पर 5 अंक ।

(ख) भृत्य के लिए :–

(1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 80 प्रतिशत अंक ।

(2) सामान्य निर्वाचन कार्यालय में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र पर 01 वर्ष का 5 अंक, 02 वर्ष का 10 अंक एवं 02 वर्ष से अधिक का 20 अंक ।

(3) शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के मेरिट लिस्ट आधार से चयन किया जावेगा ।

20. विज्ञापन/आवेदन प्रारूप जिले की वेबसाईट dantewada.gov.in एवं कलेक्टर कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय दन्तेवाड़ा के सूचना पटल पर उपलब्ध है ।

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा